न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00317 RAAJodhpur2018-130RTA223 Devendra singh ors Vs Shrawansingh etc

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र मीठूसिंह
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र मीठूसिंह
3. श्रीमती सुमन कंवर पत्नी मीठूसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- साई तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. श्रवण सिंह पुत्र घनश्याम सिंह
2. पर्वत सिंह पुत्र घनश्याम सिंह
3. श्रीमती सुरज कंवर पत्नी घनश्याम सिंह
4. भवानी सिंह पुत्र हरिसिंह
5. सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री हरिसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- साई तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा दिनांक 21 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 30/2016 श्रवण सिंह व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री उम्मेदसिंह बावरला, श्री रमेश भादू, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 11 सितंबर 2023

11.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 30/2016 अनवान श्रवणसिंह व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 अगस्त 2018 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत करने की छूट प्रदान करने बाबत प्रस्तुत कर अपीलांट्स द्वारा डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत करने की छूट चाही।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 904 ग्राम साई तहसील शेरगढ के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बिलकुल गैर कानूनी, गलत व मनमाने होने से निरस्त करने योग्य हैं। अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर विरोध किया कि वादग्रस्त आराजी एवं अन्य कृषि भूमियों का पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के मध्य पूर्वज हरिसिंह जी के जीवनकाल में ही विधिवत बंटवाड़ा हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का

11.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किसी प्रकार का हक, अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन बंटवाड़ा करवाने के उतराधिकारी नहीं है। अपीलांट्स की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पत्रावली तनकीयात कायमी में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया तथा अपीलांट्स के काउंटर क्लेम पर किसी प्रकार का आदेश पारित ही नहीं किया गया। पूर्व बंटवाड़े अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के पिता घनश्यामसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में सें अपना हक-हिस्सा त्याग दिया था। इस कारण वादग्रस्त आराजी में अब उनके वारिसानों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अपीलांट्स की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने पर प्रथम बार अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अपीलांट्स द्वारा अपील अदंर म्याद प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति की नकल प्रस्तुत करने की छूट पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के बाद

11.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया है। इसलिए अपीलांट्स डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत नही कर सके। डिक्री पर्चा की बाध्यता से छूट प्रदान की जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21 मई 2018 को अपास्त व निरस्त किये जावे

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि अपील किस आधार पर खारिज फरमायी जावे। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 21 मई 2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिसकी सूचना

11.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान्/अपीलांट्स को दिया जाना नहीं पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत करने की छूट प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा की प्रमाणित नकल प्रस्तुत करने की छूट प्रदान करने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति की बाध्यता की छूट प्रदान की जाती है तथा निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पत्रावली में तनकीयात विरचित होनी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत दावे में दावा, जवाब-दावा एवं कांउटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, पक्षकारान् को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुति का अवसर दिये बिना तथा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के भूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ

11.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 30/2016 अनवान श्रवणसिंह व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाब दावे मय कांउटर क्लेम के आधार पर मामले में तनकियात कायम कर, उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का का समुचित प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.9.23

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर